ए.

साबित्री सामंतरी

वी.

ओडिशा राज्य

(2017 की आपराधिक अपील संख्या 988)

20 मई, 2022

बी.

[एन**.** वी**.** रमना**,** सीजेआई**,** कृष्णा मुरारी और हिमा कोहली**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.302 और 304 (II)-अभियोजन मामला कि पीड़ित-मृतक की अपीलार्थीगण (पति और पत्नी) द्वारा उनकी बेटी के साथ उनके घर में गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और मृत शरीर पर तेजाब डालकर मृतक की पहचान छिपाने का प्रयास किया गया था-निचली अदालत ने अपीलार्थीगण और उनकी बेटी को अपराध के लिए दोषी ठहराया। 302 आर/डब्ल्यू।धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता सी. और उन्हें आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने बेटी को सभी आरोपों से बरी कर दिया और अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को बरकरार रखा-अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को यू/एस.304(II) भारतीय दण्ड संहिता सी. और सजा की अवधि को घटाकर पांच साल की अवधि के लिए कठोर कारावास कर दिया गया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:तत्काल मामले में, अभियोजन पक्ष अपराध करने के लिए अपीलकर्ताओं के इरादे को साबित करने में सफल रहा था-इस तरह के इरादे का, जब गवाहों के सभी समूहों द्वारा दिए गए बयानों और संबंधित स्थान और समय पर मृतक को लगी घातक चोटों के आलोक में विश्लेषण किया जाता है, तो निश्चित रूप से एक मजबूत मामला सामने आता है कि मृतक की मृत्यु वास्तव में अपीलार्थीगण के कारण हुई थी-इसलिए, एक बार जब अभियोजन पक्ष ने घटनाओं की श्रृंखला को सफलतापूर्वक साबित कर लिया था, तो इसे अन्यथा साबित करने का बोझ अपीलार्थीगण पर था-अपीलार्थी कोई विश्वसनीय बचाव देने में विफल रहे थे-घटनाओं की पूरी श्रृंखला अपीलार्थीगण के अपराध की ओर इशारा करती है-उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में कोई त्रुटि नहीं थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

साक्ष्य अधिनियम, 1872 -धारा 106-तथ्य को विशेष रूप से ज्ञान के भीतर साबित करने का बोझ-यह धारा किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे सबूत के अपने बोझ का निर्वहन करने से दोषमुक्त नहीं करती है, यह केवल यह निर्धारित करती है कि जब किसी व्यक्ति ने किसी अन्य इरादे से कोई कार्य किया है, जो परिस्थितियों से संकेत मिलता है, तो उस विशिष्ट इरादे को साबित करने की जिम्मेदारी व्यक्ति पर आती है न कि अभियोजन पक्ष पर-यदि अभियुक्त का तथ्यों से अलग इरादा था, विशेष रूप से उसके ज्ञान में है जिसे उसे साबित करना चाहिए।

जी.

एच.

276 ए.

277

साबित्री सामंतारी बनाम ओडिशा राज्य ए

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः**1.** अभि**.**सा**. 9** के बयान से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मृतक की मृत्यु के समय घर के अंदर केवल आरोपी अपीलार्थीगण मौजूद थे।इसके अलावा**,** अपीलार्थीगण के इस तर्क को कि एकत्र हुए लोगों ने वास्तव में मृतक पर हमला किया था और उसका चेहरा नष्ट कर दिया था**,** उच्च न्यायालय द्वारा दावे के समर्थन में किए गए किसी भी भौतिक सबूत के अभाव के रूप में सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।मृतक की बहन **(**पीडब्लू **12)** ने अपने बयान में आगे कहा कि उसकी मृत्यु से पहले**,** मृतक ने यह कहते हुए घर छोड़ दिया था कि वह या तो अपीलार्थीगण की बेटी के साथ वापस आएगा या अपने पैसे वापस ले लेगा।इस बयान की पुष्टि पीडब्लू**-7** और **8** ने की**,** जो क्रमशः मृतक के दोस्त और चचेरे भाई थे।इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा यह उचित रूप से देखा गया कि गवाहों के इन दूसरे समूह का बयान स्पष्ट रूप से अपराध करने के उद्देश्य को दर्शाता है।यह यह भी स्थापित करता है कि अभियुक्त अपीलार्थीगण द्वारा किया गया दावा कि मृतक उन्हें ज्ञात नहीं था**,** भी गलत है**,** विशेष रूप से यह देखते हुए कि उनकी बेटी **(**अभियुक्त नं**.3)** उसने अपने बयान में स्वीकार किया है कि मृतक अपीलार्थीगण के घर जाता था।**[**पैरा **21** और **22] [284-**एफ**; 285-**ए-सी**]**

बी.

सी.

डी.

2. तत्काल मामले में**,** अभियोजन पक्ष इस प्रकार अपराध करने के लिए अपीलार्थीगण के इरादे को स्थापित करने में सफल रहा था।जब गवाहों के सभी समूहों द्वारा दिए गए बयानों और संबंधित स्थान और समय पर मृतक को लगी घातक चोटों के आलोक में इस तरह के इरादे का विश्लेषण किया जाता है**,** तो निश्चित रूप से एक मजबूत मामला सामने आता है कि मृतक की मृत्यु वास्तव में अपीलार्थीगण के कारण हुई थी।इसलिए**,** एक बार जब अभियोजन पक्ष ने घटनाओं की श्रृंखला को सफलतापूर्वक साबित कर लिया था**,** तो अपीलार्थीगण पर इसे अन्यथा साबित करने का बोझ था।इस प्रकार**,** उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा **106** के आलोक में**,** अब यह खुलासा करने की जिम्मेदारी अपीलार्थीगण पर थी कि मृतक ने अपनी जान कैसे गंवाई।उपरोक्त तथ्यों और उसके साथ बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए**,** यह अनुमान लगाया जा सकता है कि घटनाओं का पूरा क्रम दृढ़ता से अभियुक्त अपीलार्थीगण के अपराध की ओर इशारा करता है**,** और यह कि अपीलार्थी इस संबंध में कोई विश्वसनीय बचाव करने में विफल रहे हैं।घटनाओं की पूरी श्रृंखला अपीलार्थीगण के अपराध की ओर इशारा करती है।**[**पारस **24** और **26] [285-**ई**-**एफ**; 286-**सी**-**डी**]**

ई.

एफ.

जी.

एच.

त्रिमुख मारौती किरकान बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2006)**

10 एससीसी 681:[2006] 7 पूरक।एस. सी. आर. 156; अशोक बनाम महाराष्ट्र राज्य (2015) 4 एस. सी. सी. 393:[2015] 6 एस. सी. आर. 375-पर निर्भर।

शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य **[1956]** एससीआर **199;** देवेंद्र कुमार सिंगला बनाम बलदेव कृष्णन सिंगला**,**

बी.

(2005) 9 एससीसी 15:[2004] 2 एस. सी. आर. 459; मोहन सिंह बनाम प्रेम सिंह और अन्र।, (2002) 10 एससीसी 236:[2002] 3

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 5;** राजेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान राज्य

(2003) 10 एससीसी **21:2003 (1)** पूरक।जे**.** टी**. 150-**संदर्भित।

सी.

मामला कानून संदर्भ

[1956] एस**.** सी**.** आर**. 199** संदर्भित

पैरा **8**

[2004] 2 एस**.** सी**.** आर**. 459** को संदर्भित किया गया

पैरा **10**

डी.

[2002] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 5** संदर्भित

पैरा **10**

[2006] 7 पूरक।एससीआर **156** पर भरोसा किया गया

पैरा **15**

[2015] 6 एस**.** सी**.** आर**. 375** पर निर्भर

पैरा **25**

ई.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2017 की आपराधिक अपील संख्या 988।

2015 के सी. आर. एल. ए. सं. 202 में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांकित 08.11.2016 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

एफ.

2022 की आपराधिक अपील संख्या 860

सुश्री अमृता पांडा, कनिष्क अग्रवाल, देबेश पांडा, उदभव गाडी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

जी.

शुभेंदु सुवासी दास, सुश्री स्वाति वैभव, सुश्री अनिंदिता पुजारी, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, आजाद बंसला, सुश्री प्रकृति रस्तोगी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

एच.

279

साबित्री सामंतारी बनाम ओडिशा राज्य ए

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कृष्णा मुरारी**,** जे।

1. 2017 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 3881 में अनुमति दी गई।

बी.

2. 2015 की आपराधिक अपील संख्या 202 में कटक में ओडिशा के उच्च न्यायालय द्वारा पारित 08.11.2016 के फैसले और आदेश के खिलाफ वर्तमान अपीलें निर्देशित की जाती हैं।इसमें अपीलार्थीगण, अर्थात् साबित्री सामंताराय और बिद्याधर प्रहराज क्रमशः पत्नी और पति हैं।दोनों को आरोपी नं. 2 और अभियुक्त नं. 2008 की एफ. आई. आर. सं. 120 में 1.इसमें अपीलार्थीगण अपनी बेटी के साथ (अभियुक्त नं.3) उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित धारा 302,201 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था।सत्र न्यायालय जाजपुर ने 2010 के सी. टी. मामला सं. 76 में अभियुक्त सं. भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302,201 के तहत अपराधों के लिए 1 और 2, जिसके तहत दोनों अपीलार्थीगण को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 10, 000/- और जुर्माने के भुगतान में चूक के मामले में छह महीने की अतिरिक्त सजा।उनकी बेटी अर्थात अभियुक्त संख्या 3 को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ धारा 109 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 10, 000/- और जुर्माने के भुगतान में चूक के मामले में छह महीने की अतिरिक्त सजा।इसके बाद, उच्च न्यायालय ने यहां दिए गए आदेश के माध्यम से अपीलार्थीगण की बेटी को सभी आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को बरकरार रखा।हालाँकि, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 (II) के तहत अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 (II) के तहत दोषसिद्धि में संशोधित किया गया था और इसलिए, सजा की अवधि को पांच साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने में बदल दिया गया था। 10, 000/-, और चूक के मामले में अतिरिक्त छह महीने की कठोर कारावास।

सी.

डी.

ई.

एफ.

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

3. एतऽ अभियुक्त अपीलार्थीगण मायधर मोहपानक किरायेदार छलाह।उक्त मकान मालिक ने 21.07.2008 पर एक प्राथमिकी दर्ज की जिसमें कहा गया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने लगभग 7 बजे आरोपी अपीलार्थीगण पर हमला किया था:30 प्रधानमंत्री जब अपने घर में टेलीविजन देख रहे थे।मकान मालिक ने कहा कि उसने अपने घर के उस हिस्से से एक जोरदार चिल्लाहट सुनी थी जो अपीलार्थीगण को किराए पर दी गई थी, और जब वह यह पूछने के लिए दौड़ा कि क्या हुआ था, तो उसने एक अज्ञात व्यक्ति को "काटा" से अपीलार्थीगण पर हमला करते देखा।नतीजतन, मकान मालिक मदद के लिए चिल्लाया, और जैसे ही अन्य लोग इकट्ठा हुए

जी.

एच.

घर के चारों ओर, उन्होंने एक आपस में जुड़े दरवाजे के माध्यम से दंपति को बचाया।

4. यह अज्ञात व्यक्ति अपीलार्थियों के घर के अंदर रहा।पुलिस मौके पर पहुंची और सभी कमरों की तलाशी ली, जिसके बाद वह व्यक्ति घर की रसोई के अंदर मृत पाया गया।शुरू में संदेह था कि उसने जहर खाकर आत्महत्या की है।इसके बाद, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उसके बाद पहचान के लिए संरक्षित कर लिया गया।24.07.2008 पर, एक रंजन राणा ने मृतक की पहचान संजय राणा के रूप में की।उन्होंने आगे खुलासा किया कि मृतक का अपीलार्थीगण की बेटी के साथ प्रेम संबंध था।

बी.

5. शरीर की पोस्टमॉर्टम जांच भी की गई और डॉक्टर द्वारा यह राय दी गई कि मृत्यु गर्दन के निचले हिस्से में संपीड़न के कारण हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप श्वासनली के ऊपरी छोर में रुकावट आई थी।आगे यह राय दी गई कि मृतक पीड़ित पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने तेजाब और कुंद वस्तुओं से हमला किया था।इस प्रकार, मृत्यु प्रकृति में हत्या थी।इसके

परिणामस्वरूप, अभियुक्त अपीलार्थीगण और उनकी बेटी (अभियुक्त सं.3) भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा302,201,109 और 34 के तहत अपराधों के लिए।

सी.

डी.

6. इसके विपरीत अभियुक्त अपीलार्थीगण ने कहा कि अज्ञात व्यक्ति जबरन उनके घर में घुस गया था और उसे अंदर से बंद कर दिया था।ओ पहिल बेर अभियुक्त नं. 1 (यानी विद्याधर प्रहराज) और उसे मारने की धमकी दी, अगर उसने पूरे पैसे और कीमती सामान सौंपने से इनकार कर दिया।इसके बाद, दोनों अपीलार्थीगण पर मृतक द्वारा हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वे घायल हो गए।अंततः उन्हें बचा लिया गया और उसके बाद पुलिस ने उन्हें एक झूठे मामले में फंसाया।

ई.

7. सत्र न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के निर्णय के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे सफलतापूर्वक साबित किया था और इसलिए, अभियुक्त अपीलार्थीगण और उनकी बेटी को उपरोक्त धाराओं के तहत दोषी ठहराया।पीड़ित, अपीलार्थीगण और उनकी बेटी ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।विवादित फैसले के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने बेटी को सभी आरोपों से बरी कर दिया, क्योंकि वह अपराध स्थल पर मौजूद नहीं थी।यह देखा गया कि वास्तविक घटना में उसकी कोई भूमिका नहीं थी और इसलिए उसे अपराध के लिए उकसाने वाला नहीं कहा जा सकता है।इसके विपरीत, अभियुक्त अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी।उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थीगण और मृतक के बीच कुछ हुआ था, जो एक हमले में परिणत हुआ।यह आगे देखा गया कि ए

एफ.

जी.

एच.

कि इसके बाद, यह प्रतीत हुआ कि मृतक किसी तरह अपीलार्थीगण द्वारा पराजित किया गया था और निहत्थे था।इसके बाद, दोनों अपीलार्थीगण ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और पहचान में बाधा डालने के लिए उस पर तेजाब डाल दिया।हालाँकि, चूंकि गंभीर और अचानक उकसावे के अस्तित्व की प्रबल संभावना थी, जो प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से स्पष्ट थी,

इसलिए भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 (II) के तहत भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को संशोधित किया गया था, और इस प्रकार दोनों अभियुक्तों को पांच साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

बी.

अपीलार्थीगण द्वारा की गई दलीलें

8. अपीलार्थीगण का तर्क है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 पर निर्भरता का गलत अर्थ लगाया गया है, क्योंकि अपीलार्थीगण के अपराध की ओर इशारा करने वाले स्पष्ट साक्ष्य नहीं हैं।कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, और इसलिए सबूत के अपने बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा है।अभियोजन पक्ष के अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहने के अभाव में, उच्च न्यायालय अभियोजन पक्ष पर साक्ष्य के बोझ को निर्वहन करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का स्थान नहीं ले सकता है।अतः इसमें आक्षेपित निर्णय शंभू में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन है।

सी.

डी.

नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य **1.**

9. इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से परिस्थितिजनक साक्ष्य पर भरोसा करके अपीलार्थीगण को दोषी ठहराते हुए गलती की।इसके अतिरिक्त, किसी प्रत्यक्षदर्शी की अनुपस्थिति में, उच्च न्यायालय ने मृतक की मृत्यु के विवादित समय के संबंध में अपीलार्थीगण के तर्क को खारिज करने में भी गलती की।10. यह भी तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि डॉक्टर द्वारा प्रस्तुत पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की मृत्यु तब हुई जब अपीलार्थीगण को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, क्योंकि मृतक द्वारा हमला किए जाने से उन्हें चोटें लगी थीं।इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयानों में अपीलार्थीगण द्वारा दिए गए उत्तरों पर निर्भरता गलत है, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत प्रश्नों के उत्तर साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

ई.

एफ.

जी.

[देखें, देवेंद्र कुमार सिंगला बनाम बलदेव कृष्णन सिंगला, (2005) 9 एस. सी. सी. 15 और मोहन सिंह बनाम प्रेम सिंह और अन्र., (2002) 10 एस. सी. सी. 236।]

11. अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्तिगत घटना पर भरोसा करने में विफल रहा जो अपीलार्थियों की भागीदारी का संकेत देगा, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो जाएगी।इस प्रकार, निर्णय में किसी भी प्रथम दृष्टया निष्कर्ष का अभाव है जो मृतक की मृत्यु की स्थिति में अपीलार्थीगण की भागीदारी का संकेत देगा।

प्रत्यर्थी द्वारा की गई दलीलें-राज्य

बी.

12. प्रत्यर्थी द्वारा यहां यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने स्वीकार किए गए तथ्यों, विश्वसनीय साक्ष्य, पक्षों के बीच संबंध, विशेष रूप से अपीलार्थीगण के मृतक और बेटी के बीच संबंध, उनके टेलीफोन संपर्क, मृतक और अपीलकर्ता की बेटी के बीच धन का आदान-प्रदान, मृतक की हत्या की तारीख, स्थान और समय, और घर के किरायेदार हिस्से के अंदर आरोपी अपीलार्थीगण की उपस्थिति पर भरोसा करते हुए उचित रूप से कहा है कि घटना अभियोजन पक्ष द्वारा कथित समय और स्थान पर हुई थी जिसमें अपीलकर्ता निश्चित रूप से शामिल थे।

सी.

13. इसके अलावा, यह सही पाया गया कि गवाहों के पहले समूह का दावा घटनाओं का पूरा वर्णन करने में विफल रहा।इसके अतिरिक्त, इसमें आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, यह उचित रूप से देखा गया कि गवाहों के दूसरे समूह का संस्करण अधिक विश्वसनीय था क्योंकि यह मृतक और अपीलार्थीगण के बीच संबंध साबित करता था, जिसे कुछ हद तक अपीलार्थी के पति और बेटी द्वारा स्वीकार किया गया था।

डी.

ई.

14. यह आगे तर्क दिया जाता है कि अभिलेख पर तथ्यों और सामग्री के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के अलावा कोई और अपराध स्थल पर मौजूद नहीं था और इसलिए, अपीलार्थीगण को विशेष जानकारी होने के कारण, साक्ष्य अधिनियम की धारा

106 का संदर्भ उचित रूप से दिया गया है।विचारण न्यायालय, के निर्णय पर अभियोजन पक्ष द्वारा रखी गई निर्भरता की पुष्टि करते हुए

एफ.

राजेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान राज्य **2** में प्रदत्त इस न्यायालय ने

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का भी उल्लेख किया गया है। इसलिए, अपीलार्थीगण द्वारा की गई दलीलें कि अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 पर कोई निर्भरता नहीं रखी गई थी, गलत है।

जी.

15. यह न्यायालय त्रिमुख मरोटी किरकान बनाम में अपने फैसले में।

महाराष्ट्र राज्य **3** ने भी देखा हैः**-**

2 (2003) 10 एस. सी. सी. 21 3 (2006) 10 एस. सी. सी. 681 ए

एच.

283

साबित्री समंतराय बनाम ओडिशा राज्य [कृष्ण मुरारी, जे.] ए.

“15. जहां हत्या जैसा अपराध किसी घर के अंदर गोपनीयता में किया जाता है, मामले को स्थापित करने का प्रारंभिक बोझ निस्संदेह अभियोजन पक्ष पर होगा, लेकिन आरोप स्थापित करने के लिए उसके नेतृत्व में साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा उतनी नहीं हो सकती जितनी परिस्थितिजनक साक्ष्य के अन्य मामलों में आवश्यक है।बोझ तुलनात्मक रूप से हल्का होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखते हुए घर के कैदियों पर एक ठोस स्पष्टीकरण देने का बोझ होगा कि अपराध कैसे किया गया था।घर के कैदी केवल चुप रहकर और इस कथित आधार पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देकर भाग नहीं सकते हैं कि अपने मामले को स्थापित करने का बोझ पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर है और कोई भी स्पष्टीकरण देने का कोई कर्तव्य आरोपी पर नहीं है।”

बी.

सी.

16. इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चिकित्सा विशेषज्ञ (पीडब्लू 6) के बयान के अनुसार, यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मृतक की मृत्यु तब हुई थी जब अपीलार्थीगण अस्पताल में घायल पड़े थे।इसके अतिरिक्त, सभी गवाहों के बयान सुसंगत हैं, और केवल मामूली विरोधाभास अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को पूरी तरह से अस्वीकार करने का

आधार नहीं बन सकते हैं।इस प्रकार, तथ्यों के केवल अवलोकन से, यह निर्णायक रूप से साबित किया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे घटनाओं की श्रृंखला को सफलतापूर्वक साबित किया है।अपीलार्थीगण द्वारा मृतक की गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसकी मृत्यु के बाद, शव पर तेजाब डालकर उसकी पहचान छिपाने का प्रयास किया गया।

डी.

ई.

विश्लेषण

17. अपीलार्थीगण और प्रत्यर्थी द्वारा यहां दिए गए प्रासंगिक तथ्यों और तर्कों को देखने के बाद, हमारी सुविचारित राय में, प्रमुख मुद्दा जिसके लिए तत्काल मामले में निर्धारण की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या अभियोजन पक्ष ने सबूत के अपने बोझ को सफलतापूर्वक पूरा किया है, और घटनाओं की श्रृंखला सफलतापूर्वक साबित की गई है ताकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के आवेदन को आकर्षित किया जा सके।

एफ.

18. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में कहा गया है कि उन चीजों को साबित करने का बोझ उस व्यक्ति पर है जो किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान के भीतर हैं।यद्यपि यह धारा किसी भी प्रकार से अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे सबूत के अपने बोझ का निर्वहन करने से दोषमुक्त नहीं करती है, लेकिन यह केवल यह निर्धारित करती है कि जब किसी व्यक्ति ने परिस्थितियों से इंगित होने के अलावा किसी अन्य इरादे से कोई कार्य किया है, तो

जी.

एच.

यह साबित करना कि विशिष्ट इरादा व्यक्ति पर पड़ता है न कि अभियोजन पक्ष पर।यदि अभियुक्त का कोई अलग इरादा था, तो तथ्य विशेष रूप से उसकी जानकारी में हैं, जिसे उसे साबित करना होगा।

19. इस प्रकार, यद्यपि धारा 106 का उद्देश्य किसी भी तरह से किसी अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को उसके बोझ से मुक्त करना नहीं है, यह उन

मामलों में लागू होता है जहां अभियोजन पक्ष द्वारा घटनाओं की श्रृंखला सफलतापूर्वक साबित की गई है, जिनसे अभियुक्त के खिलाफ एक उचित निष्कर्ष निकाला गया है।इसके अलावा, परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आधारित किसी मामले में, जब भी आरोपी से कोई आपत्तिजनक सवाल पूछा जाता है और वह या तो जवाब से बच जाता है, या कोई ऐसा जवाब देता है जो सच नहीं है, तो ऐसी प्रतिक्रिया अपने आप में घटनाओं की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाती है।[देखें।

बी.

सी.

त्रिमुख मारौती किरकान बनाम महाराष्ट्र राज्य**, (2006) 10** एस**.** सी**.** सी**. 681]**

20. मामले पर आते हुए, अपने फैसले के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने दोनों अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के साथ धारा 304 (II), 201 के तहत दोषी ठहराया है। यह देखा गया कि अपीलार्थीगण द्वारा मृतक की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और शरीर पर तेजाब डालकर उसकी पहचान छिपाने का प्रयास किया गया था।पक्षकारों की प्रासंगिक प्रस्तुतियाँ और उनके साथ प्रस्तुत साक्ष्य पर निम्नलिखित रूप में चर्चा की गई हैः21. सबसे पहले, अभि.सा. 9 (मकान मालिक) के बयान पर भरोसा किया गया था जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि पुलिस के सदस्य आरोपी अपीलार्थीगण के घर में सबसे पहले प्रवेश करने वाले थे, जिसके तुरंत बाद आरोपी अपीलार्थीगण को आपस में जुड़े दरवाजे से बचाया गया था, जबकि मृतक अंदर ही रहा था।अभि.सा. 9 के बयान से, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मृतक की मृत्यु के समय, केवल आरोपी अपीलार्थीगण ही घर के अंदर मौजूद थे।इसके अलावा, अपीलार्थीगण के इस तर्क को कि एकत्र हुए लोगों ने वास्तव में मृतक पर हमला किया था और उसका चेहरा नष्ट कर दिया था, उच्च न्यायालय द्वारा दावे के समर्थन में किए गए किसी भी भौतिक सबूत के अभाव के रूप में सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।

डी.

ई.

एफ.

22. इसके बाद, मृतक की बहन-गीतांजलि राणा (पीडब्लू 12) की गवाही पर और भरोसा किया जाता है, जिसने कहा कि मृतक एक जौहरी था जिसकी आभूषण की दुकान थी।उसने आगे कहा कि मृतक अपीलार्थीगण की बेटी के साथ प्रेम संबंध में था, और वह अक्सर महीने में एक या दो बार घर आता था।यह आगे कहा गया कि मृतक ने रुपये की राशि दी थी। 70, 000/- अपीलार्थीगण की बेटी को (अभियुक्त संख्या 3) जैसा कि उसने उसका ए माँगा था।

जी.

मदद करें।मृतक का आरोपी नं. 3, लेकिन एक बैंक में नौकरी मिलने पर, बेटी मृतक को टालने लगी और उसकी हताशा बढ़ गई।मृतक की बहन ने अपने बयान में आगे कहा कि उसकी मृत्यु से पहले, मृतक ने यह कहते हुए घर छोड़ दिया था कि वह या तो अपीलार्थीगण की बेटी के साथ वापस आएगा या अपने पैसे वापस ले लेगा।इस कथन की पुष्टि अभि.सा. -7 और 8 ने की, जो क्रमशः मृतक के मित्र और चचेरे भाई थे।इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा यह उचित रूप से देखा गया कि गवाहों के इन दूसरे समूह का बयान स्पष्ट रूप से अपराध करने के उद्देश्य को दर्शाता है।यह यह भी स्थापित करता है कि अभियुक्त अपीलार्थीगण द्वारा किया गया दावा कि मृतक उन्हें ज्ञात नहीं था, भी गलत है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि उनकी बेटी (अभियुक्त नं.3) उसने अपने बयान में स्वीकार किया है कि मृतक अपीलार्थीगण के घर जाता था।

बी.

सी.

23. इसके अलावा, चिकित्सा विशेषज्ञ (पीडब्लू 6) के बयान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें बताया गया था कि मृतक की मृत्यु का कारण गर्दन के निचले हिस्से के संपीड़न के कारण श्वास नली के ऊपरी छोर में रुकावट के कारण दम घुटना था।यह राय दी गई थी कि मृतक पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था और चोटें हत्या की प्रकृति की थीं।

डी.

24. तत्काल मामले में, अभियोजन पक्ष इस प्रकार अपराध करने के लिए अपीलार्थीगण के इरादे को स्थापित करने में सफल रहा था।जब गवाहों के सभी समूहों द्वारा दिए गए बयानों और संबंधित स्थान और समय पर मृतक को लगी घातक चोटों के आलोक में इस तरह के इरादे का विश्लेषण किया जाता है, तो निश्चित रूप से एक मजबूत मामला सामने आता है कि मृतक की मृत्यु वास्तव में अपीलार्थीगण के कारण हुई थी।इसलिए, एक बार जब अभियोजन पक्ष ने घटनाओं की श्रृंखला को सफलतापूर्वक साबित कर लिया था, तो अपीलार्थीगण पर इसे अन्यथा साबित करने का बोझ था।इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के आलोक में, अब यह खुलासा करने की जिम्मेदारी अपीलार्थीगण पर थी कि मृतक ने अपनी जान कैसे गंवाई।

ई.

एफ.

25. इसके अलावा**,** अशोक बनाम महाराष्ट्र राज्य **4** के मामले में इस न्यायालय ने कहा है:**-**

जी.

“12. ऊपर बताए गए निर्णयों और इस न्यायालय द्वारा वर्षों की अवधि में दिए गए कई अन्य निर्णयों के अध्ययन से, नियम का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है कि सबूत का प्रारंभिक भार इस पर है।

4 (2015) 4 एस. सी. सी. 393

एच.

अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए पर्याप्त सबूत लाए।हालांकि, आखिरी बार एक साथ देखे जाने के मामले में, अभियोजन पक्ष को घटना की सटीक घटना को साबित करने के लिए छूट दी गई है क्योंकि आरोपी को खुद घटना की विशेष जानकारी होगी और इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार सबूत का बोझ होगा। इसलिए, आखिरी बार एक साथ देखा जाना अपने आप में एक निर्णायक सबूत नहीं है, लेकिन घटना के आसपास की अन्य परिस्थितियों के साथ, जैसे कि आरोपी और मृतक के बीच संबंध, उनके बीच दुश्मनी, शत्रुता का पिछला इतिहास, आरोपी से हथियार की बरामदगी, आदि। मृतक की मृत्यु का गैर-स्पष्टीकरण, अपराध की धारणा का कारण बन सकता है।”

बी.

सी.

26. इसलिए, उपरोक्त तथ्यों और उसके साथ बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि घटनाओं का पूरा क्रम दृढ़ता से अभियुक्त अपीलार्थीगण के अपराध की ओर इशारा करता है, और अपीलार्थी इस संबंध में कोई विश्वसनीय बचाव करने में विफल रहे हैं।घटनाओं की पूरी श्रृंखला अपीलार्थीगण के अपराध की ओर इशारा करती है। इस प्रकार, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। तदनुसार, अपीलें खारिज की जाती हैं।

डी.

27. दोनों अभियुक्तों के जमानत बांड रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें विफल रहने पर उन्हें उक्त उद्देश्य के लिए पुलिस हिरासत में ले लिया जाएगा।

ई.

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.